**IN THE HIGH COURT OF UTTARANCHAL AT NAINITAL**

**WRIT PETITION NO. 1983 (S/S) OF 2005**

(Disposal Application No.2617 of 2006)

1. Smt. Rajkumari W/o Vasudev Singh Rana, D/o Bachan Singh R/o Village Bhatia, Patti Barkot, Tehsil Barkot, District Uttarkashi.
2. Balwant Singh S/o Bhagat Singh R/o Village Kanseru, Patti & Tehsil Barkot District Uttarkashi.
3. Smt. Urmila Rawat W/o Suman Singh R/o Village Khansee, Patti Mugarsanti, Tehsil Barkot District Uttarkashi.

.....Petitioners

Versus

1. State of Uttaranchal through its Secretary Education (Basic), Subhash Road, Dehradun.
2. Director of Education (Basic)/Sarva Sikhsa, Dehradun.
3. Basic Siksha Adhikari, Uttarkashi.
4. Block Education Officer, Naugaon, District Uttarkashi.

..... Respondents

***09.03.2006***

***Sri N.S. Pundir, learned counsel for the petitioner.***
***Learned Standing Counsel for the respondents.***

**Hon'ble Rajesh Tandon, J.**

Heard Sri N.S. Pudnir and Sri Ashish Rawat, Learned Counsels for the petitioners and Learned Standing Counsel for the respondents.

By the present writ petition, the petitioners have prayed for a writ of mandamus directing the respondents to consider the candidature of the Petitioners as Siksha Mitra or give preference under Siksha Mitra Scheme in Primary School of Naugaon Block.

Briefly stated, Petitioners No. 1 &2 were initially appointed an Anudeshak by the respondent No.3 in the year 1992 under the scheme issued by the then U.P. Government in the year 1997 & petitioner No. 3 was also appointed an Anudeshak by respondent No. 3 under the above said scheme. They continued till 09.03.2000 as Anudehsak at Block-Naugaon District Uttarkashi.

Petitioners have further submitted that in the year 1975, the then U.P. Government created a new Scheme “Anopcharick Siksha” according to which instructor Anopcharick will be given appointment for every Gram Shabha for giving basic education to the students of rural area who cannot go to school for receiving the primary education.

After the creation of State of Uttaranchal, the Anopcharick Siksha Scheme has been abolished by the State of Uttaranchal and created a new scheme namely Sarva Siksha Abhiyan and the service of Anudeshak in all over State were terminated and they were assured that in newly created scheme they will be adjusted but till date inspite of such assurance the respondents have not adjusted the present petitioners.

In the year 2001, the State of Uttaranchal issued a Scheme of Siksha Mitra, this was amended in year 2004 & 2005. According to this scheme such candidates who posses graduate degree and are the domicile of Uttaranchal and are residing in that Gram Shabha of Gram Panchayat or block will be considered for appointment as Siksha Mitra and State of Uttaranchal has appointed hundreds of Siksha Mitra but the services of Anudeshak who were removed on the basis of abolition of old scheme and creating of new scheme have not been regularized. Moreover, no preference has been given to the Anudeshak who were removed due to the creation of new Scheme known as Siksha Mitra.

In this regard, Petitioners have approached the concerned authorities but all in vain. The petitioners are residing in Naugaon block and have domicile also and further several seats are lying vacant in many Primary Schools.

The petitioners have preferred the writ petition No. 1740 (S/S) of 2005 (Smt. Chandra Kala Vs. State of Uttaranchal and others) which has been finally disposed of by this Hon’ble Court on

25.11.2005 on the same terms and conditions of the order by this Court on 14.09.2005 in Writ Petition No.1678(S/S) 2003 [Km. Seema Chamola and others Vs. Stateof Uttaranchal and others) passed by this Hon'ble Court, it has been held as under:-

*''प्रत्युत्तर प्रति शपथपत्र में याचीगण ने कथन किया है कि याची सं01 स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण है और उसकी नियुक्ति 1.10.1989 को अनुदेषिका के पद की गयी थी । परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में षिक्षक के पद पर नियुक्ति की अर्हता इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण रखी गयी थी । याची संख्या 2 की नियुक्ति 01.09.1988 को की गयी थी और वर्ष 1989 में कार्य छोड़ने के उपरांत दिनांक 16.08.1996 के पुनर्नियुक्ति आदेष से वह निरंतर कार्यरत है । याची संख्या 2 परास्नातक है और वह परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में षिक्षक के पद पर नियुक्ति पाने का अधिकारी है । याची संख्या 3 स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण है उसे माह जून 1996 में पुनर्नियुक्ति दी गई, परन्तु उसने यह कहकर कार्य करने से रोका गया कि वह विवाहिता हो गयी है । इसी प्रकार याची संख्या –4 स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण है और वह भी वर्ष 1991 से परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में षिक्षक के पद पर नियुक्ति पाने का अधिकारी है। याची संख्या –4 की जन्मतिथि 20.09.1968 है और वर्ष 1991 में वह 23 वर्ष का हो चुका है। याचिका में उसकी आयु 20 वर्ष अनुमानतः अंकित की गयी है । याची गण नियत व्यवस्थाओं के अनुरूप बी0टी0सी0, जिला शैक्षिक एवं प्रषिक्षण संस्थान के अतंर्गत प्रषिक्षण ले रहे हैं ।*

*यह भी कथन रखा गया है कि याचीगण से उनकी नियुक्ति के उपरांत निरंतर कार्य लिया जा रहा था । याचीगण के कार्य की प्रकृत्ति अंषकालिक नहीं है । याचीगण ने परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में षिक्षक पद पर नियुक्ति पाने हेतु आवष्यक प्रषिक्षण प्राप्त कर लिया है और अनुदेषक का कार्य परिषदीय प्राथमिक षिक्षकों के अनुरूप है, परन्तु इसके बावजूद याची गण को प्राथमिक षिक्षकों के पदों पर समायोजित नहीं किया जा रहा है । साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि शासनादेष दिनांक 22.11.1995, जिसे याचिका के साथ संलग्नक–14के रूप में संलग्न किया गया है, के अनुसार उत्तरॉचल के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रषिक्षित अभ्यार्थियों के उपलब्ध न होने पर निर्धारित योग्यता वाले अप्रषिक्षित अभ्यर्थियों को नियत वेतनमान पर षिक्षक के पद पर रखे जाने का प्राविधान किया गया है और*

*इस प्रकार से नियुक्त षिक्षकों को 5 वर्षों के अंतर्गत निर्धारित प्रषिक्षण पूर्ण करना होगा अतः इस शासनादेष के आधार पर भी याचीगण प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति पाने के पूर्ण अधिकारी हैं ।*

*याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं ने विगत 10 वर्षों से भी अधिक समय तक अनुदेषक/अनुदेषिका के पद पर कार्य किया है और वे शैक्षणिक सत्र 2001 तक कार्य कर चुके हैं । वर्ष 2001 में उत्तरॉचल शासन द्वारा अनौपचारिक षिक्षा के स्थान पर सर्वषिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को षिक्षित करने हेतु अप्रषिक्षित षिक्षा मित्रों की सेवाऐं ली हैं परन्तु शासन ने पूर्व से ही कार्यरत अनुदेषकों को वंचित किया है, जिन्हैं कि विगत 10 वर्षो से भी अधिक षिक्षण कार्य का अनुभव हैं ।*

*उक्त परिस्थितियों में यह न्यायोचित एवं समीचीन होगा कि याचीगण अपनी विगत सेवा सम्बन्धी परिस्थितयों को इंगित करते हुए निदेषक, बेसिक षिक्षा उत्तरॉचल षासन, देहरादून को अपना संयुक्त प्रत्यावेदन (इस निर्णय की सत्यापित प्रतिलिपि सहित) आज की तिथि से 15 दिन के अंतर्गत प्रस्तुत करेंगे और निदेषक से यह अपेक्षा की जाती है कि उक्त प्रत्यावेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि याचीगण जो कि पूर्व से ही प्रषिक्षित हैं और जिन्होंने लम्बी अवधि तक अनुदेषको के पद पर कार्य किया है, याचीगण के प्रत्यावेदन पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए प्रत्यावेदन का निस्तारण करेंगे और षासन द्वारा अनौपचारिक षिक्षा के स्थान पर सर्वषिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को षिक्षित करने हेतु अप्रषिक्षित षिक्षा मित्रो की सेवाऐं लेने की जो योजना कार्यान्वित की गयी है उसी योजना के आधीन याचीगण के अभ्यर्थन पर विचार करेंगे और लिए गये निर्णय से याचीगण को सूचित करेंगे ।*

*याचिका उक्त निर्देष के साथ अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है । उभयपक्ष अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे ।''*

In the above facts and decisions, the respondents are directed to dispose of the representation of the Petitioners within a

period of one month from the date of production of certified copy of this order in accordance with law.

Consequently, writ petition is disposed of. No order as to costs.

(Rajesh Tandon, J.)

09.03.2006

*Jain*